कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा पार्क के विकास/संचालन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

1. आवेदक/फर्म का नाम :– ....

2. पता (अ) कार्यालय :– ....

   (ब) आवास :– ....

3. दूरभाष (अ) कार्यालय :– ....

   (ब) आवास :– ....

4. ई–मेल :– ....

5. फर्म की स्थापना का वर्ष :– ....

6. अनुभव :– ....

7. योग्यता :– ....

8. पार्क को विकसित किये जाने के कार्यों का विवरण। :– ....

9. पार्क के प्रस्तावित विकास कार्यों की ड्राइंग/डिजायन की गयी हैं अथवा नहीं ? :– ....

10. पार्क के संचालन अवधि (वर्षो का विवरण) :– ....

हस्ताक्षर

आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी

नाम – ....

पता – ....

दूरभाष – ....

:

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा पार्क के राजस्व/व्यापार हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

1. आवेदक/फर्म का नाम :– ....

2. पता (अ) कार्यालय :– ....

   (ब) आवास :– ....

3. दूरभाष (अ) कार्यालय :– ....

   (ब) आवास :– ....

4. ई–मेल :– ....

5. जमानत धनराशि :– रू. ....

6. पार्क की वार्षिक आय का प्रतिशत जो प्राधिकरण के खाते में प्रतिवर्ष जमा करेगें। :– रू..

7. पार्क में प्रवेश हेतु प्रस्तावित दरें। (अ) वयस्क :– रू..

   (ब) बच्चे :– रू..

हस्ताक्षर

आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी

नाम – ....

पता – ....

दूरभाष – ....

डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा पार्क

डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा पार्क झांसी के हृदयस्थल पर स्थित ऐतिहासिक झांसी दुर्ग के ठीक सामने स्थित हैं, जो पर्यटन का मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। पार्क का क्षेत्रफल लगभग 9.00 एकड़ है, जिसमें डॉ0 वृन्दावन लाल वर्मा की मूर्ति, दो फाउण्टेन–पिट, एक कैन्टीन, पाथ–वे, तीन अम्ब्रेला शेड, तीन हट, दो वॉटरवॉडी एवं दो रॉक फाउण्टेन आदि पूर्व निर्मित हैं।

–: पार्क के संचालन एवं रखरखाव हेतु नियम व शर्तें :–

1. पार्क के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, माली, हेल्पर, इलैक्ट्रीशियन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
2. पार्क में विद्युत उपभोग पर आने वाले बिल का नियमित भुगतान आबंटी द्वारा विद्युत विभाग को स्वयं करना होगा।
3. पार्क में विद्यमान विद्युत उपकरणों का अनुरक्षण स्वयं करना होगा तथा विद्युत व्यवस्था को विद्युत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत रखना होगा।
4. उद्यानिक कार्य के अनुरक्षण में प्रयोग होने वाले टूल्स, यथा टेंकर, लॉन मूवर, वाटर पाइप, सीजनल पौधे तथा अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी।
5. पार्क में प्रवेश हेतु प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक समय निर्धारित है इसमें संशोधन हेतु प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
6. पार्क में स्थित स्वल्पाहार गृह में मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थो का विक्रय स्वयं करना होगा।
7. पार्क में किसी प्रकार के अवांछनीय/अराजक तत्वों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि की अनुमति नही होगी।
8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी द्वारा जारी वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. हेज, ग्राउण्ड कवर एवं स्रब्स की आवश्यकतानुसार नियमित ट्रीमिंग, कटिंग एवं प्रॅनिंग करनी होगी।
10. पार्क क्षेत्र के अंतर्गत नियमित रूप से सूखी पत्तियों/गारबेज की सफाई करनी होगी। सूखी पत्तियों को जलाना वर्जित होगा।
11. पेड़ पौधों में आवश्यकतानुसार दवाओं का प्रयोग करना होगा।
12. सीजनल पौधो का आवश्यकतानुसार रोपण करना होगा।
13. प्रस्तावित विकास कार्य के अतिरिक्त पार्क के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव/निर्माण किये जाने की अनुमति नही होगी। विशेष परिस्थितियों में इस हेतु प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
14. पार्क को पर्यावरण की दृष्टि से वातावरण सुरक्षित रखना होगा।
15. संचालन की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात समस्त उपकरणों को संचालित अवस्था में प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा। इसमें टूट–फूट की समस्त जिम्मेदारी आबंटी की होगी।
16. जमा की गयी जमानत धनराशि संचालन अवधि के पश्चात सन्तोषजनक स्थिति में पार्क का हस्तांतरण प्राधिकरण को किये जाने के उपरान्त वापस की जायेगी। यदि किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो उसकी वसूली जमानत धनराशि से नियमुनसार वसूली की जायेगी।
17. प्राधिकरण के किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी समय पार्क में प्रवेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. पार्क में विभिन्न प्रकार की आर्कीटेक्चरल आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर्स निर्मित है इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
20. किसी भी ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का एकाधिकार उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी में निहित होगा।

हस्ताक्षर
आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी